[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 62/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2019

सा.का.नि....(अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर उन व्यक्तियों को, व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके कारबार का प्रमुख स्थान या कारबार का स्थान 30 अक्तूबर, 2019 तक तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में था ; और 31 अक्तूबर, 2019 से और उसके बाद जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, जो 31 दिसंबर, 2019 तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्रमण तारीख कहा गया है) नीचे यथा उल्लिखित निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

2. व्यक्तियों का उक्त वर्ग :-

(i) नीचे दिए गए अक्तूबर, 2019 और नवंबर, 2019 मास के लिए उक्त अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (106) के अनुसार कर अवधि सुनिश्चित करेंगे :

(क) अक्तूबर, 2019 : 1 अक्तूबर, 2019 से 30 अक्तूबर, 2019 तक ;

(ख) नवंबर, 2019 : 31 अक्तबूर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक ;

(ii) 31 अक्तबूर, 2019 से संक्रमण तारीख तक के लिए बनाए गए बीजकों, या अन्य समान दस्तावेजों, में प्रभारित कर की विशिष्टियों को विचार में लिए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी में समुचित लागू कर का संदाय करेगा ;

(iii) उसे नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, 30 अक्तूबर, 2019 तक के रजिस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) 31

अक्तबूर, 2019 से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में नई जीएसटीआईएन में अतंरण करने का विकल्प होगा :

(क) व्यक्तियों का उक्त वर्ग नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के एक मास के भीतर आईटीसी के अंतरण के संबंध में अंतरक और अंतरिती के अधिकारिता वाले कर अधिकारी को सूचित करेगा ;

(ख) आईटीसी का, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के स्थान आवर्त के अनुपात के आधार पर अंतरण किया जाएगा ;

(ग) आईटीसी का अंतरण संक्रमण तारीख के पहले किसी कर अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी के माध्यम से किया जाएगा और अंतरक जीएसटीआईएन को **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(ख)(2) में अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते से उक्त आईटीसी को विकलित करेगा और अंतरिती जीएसटीआईएन को, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सारणी 4(क)(5) में के अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते में आईटीसी की समतुल्य रकम जमा करेगा ।

3. व्यक्तियों के उक्त वर्ग के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में के राज्य कर का अतिशेष का, जिसके कारबार का मुख्य स्थान 31 अक्तूबर, 2019 से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, इलैक्ट्रानिक जमा खाते में संघ राज्यक्षेत्र कर के अतिशेष के रूप में अंतरण किया जाएगा ।

4. उक्त अधिनियम की धारा 24 के खंड (i) के उपबंध 31 अक्तूबर, 2019 से संक्रमण की तारीख तक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के मध्य अंतरराज्यिक प्रदाय करने वाले व्यक्तियों के उक्त वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

[फा.सं. 20/06/06/2019-जीएसटी]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार